

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं.13017/44/2007-एआईएस(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 19 मार्च, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) अधिनियम, 1954 के नियम 6(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री हरि कृष्ण पालीवाल, भा.प्र.से. (यूपी:81) की उत्तर प्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (अरुणाचल प्रदेश) में अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति को 01.03.2013 से 31.07.2013 तक पांच महीनों की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान करती है।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव भारत सरकार

टेलीफोन: 23092695

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)